प्रेस नोट

दिनांक- 18.05.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "operation conviction" अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में "operation conviction" अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे-12 सुलतानपुर में मु0अ0सं0 468/2020 धारा 363/376 भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट थाना संग्रामपुर के अभियुक्तगण 1-पारस मौर्या पुत्र मोतीलाल मौर्या निवासी रामगढ़ थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी 2- रामजीत मौर्या पुत्र रामनारायन मौर्या निवासी भिच्छू का पुरवा मजरे धोए थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी को आज दिनांक 18.05.2024 को उक्त अभियुक्त पारस मौर्या को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास 10,000 रु0 अर्थदण्ड एवं धारा-376 भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास 20,000 रु0 अर्थदण्ड एंव उक्त अभियुक्त रामजीत मौर्या को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास 10,000 रु0 अर्थदण्ड एवं धारा 17 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास 10,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा दिनांक 22.12.2020 समय 14:00 बजे तहरीरी सूचना के आधार पर वादी के नाबालिक बहन, घर से अचानक लापता हो जाने की सूचना पर मु0अ0सं0 468/2020 धारा 363 भादवि थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत होकर विवेचक क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री अर्पित कपूर द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट व 3(2)5,3(2)5घ एससी/एसटी एक्ट की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण 1-पारस मौर्या पुत्र मोतीलाल मौर्या निवासी रामगढ़ थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी 2- रामजीत मौर्या पुत्र रामनारायन मौर्या निवासी भिच्छू का पुरवा मजरे धोए थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी के विरुद्ध आरोप पत्र संख्याः ए- 49 दिनांक 01.03.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।